# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 93/2018
3. उनवान
   1. मन्नाराम पुत्र स्व0 मंगला
   2. रामेश्वर पुत्र स्व0 मंगला
   3. गौरुलाल पुत्र स्व0 मंगला
   4. मोती लाल पुत्र स्व0 रामू
   5. छोगाराम पुत्र स्व0 रामू
   6. श्रवण पुत्र स्व0 रामू
   7. रामपाल पुत्र स्व0 नारायण

   समस्त जाति बलाई, समस्त निवासियान ग्राम जूनसिया, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राजस्थान।

   बनाम

   1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांभर, जिला जयपुर। प्रत्यर्थी संख्या 1
   2. फुली देवी पत्नी स्व. गणेश पुत्री स्व. मंगला, जाति बलाई, निवासी ग्राम मोहन का बास, वाया करणसर, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
   3. गंगा देवी पत्नी किसनाराम पुत्री स्व. मंगला जाति बलाई, निवासी ग्राम बधाल, तहसील फुलेरा ,जिला जयपुर।
   4. सायरी देवी पत्नी गोपाल लाल पुत्री स्व. मंगला देवी जाति बलाई, निवासी ग्राम बधाल, तहसील फुलेरा ,जिला जयपुर।
   5. सोनी देवी पत्नी स्व. रामूजाति बलाई, निवासी ग्राम जूनसिया, तहसील फुलेरा ,जिला जयपुर।
   6. मूली देवी पत्नी गंगाराम पुत्री स्व. रामूजाति बलाई, निवासी ग्राम लुणियावास, तहसील फुलेरा ,जिला जयपुर।
   7. कमला देवी पत्नी प्रभू दयाल पुत्री स्व. रामू जाति बलाई, निवासी बेणियों का बास, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
   8. नाथी देवी पत्नी दानाराम पुत्री स्व. नारायण जाति बलाई, निवासी ग्राम मोहनपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

   –तरतीबी प्रत्यर्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 04-01-2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री ओ.पी. वर्मा अपीलान्ट की ओर से।
   ब) सरकार पैरोकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
   स) अधिवक्ता श्री मोहन लाल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा. 8 की ओर से।

## निर्णय

### अपील अन्तर्गत धारा 75(1)(ए) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 4, 6 ता 8 के पिता व प्रत्यर्थी संख्या 5 के पति स्व. रामू व मंगला पुत्र लादू, रामू पुत्र लादू के शामलाती खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 369 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 371 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 374, 377, 378 रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 376 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 389 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, कुल रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा ग्राम जूनसिया तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में स्थित हैं तथा अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 8 के पिता व पति स्वर्गीय मंगला पुत्र लादू, रामू पुत्र लादू एवं स्वर्गीय नारायण पुत्र लादू की उपरोक्त खसरा नम्बर की खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सम्वत 2011 से 2022, सम्वत 2038 से 2041, सम्वत 2051 से 2055 व सम्वत 2059 से 2062 में दर्ज है। उपरोक्त प्रकार से पूर्व में अपीलार्थीगण के पिता स्वर्गीय मंगला, रामू व नारायण उपरोक्त कृषि भूमि के एकमात्र खातेदारी काश्तकार थे, जिनकी मृत्यु होने के उपरान्त उक्त कृषि भूमि की खातेदारी अपीलार्थीगण के नाम विरासत के आधार पर दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी को बिना नोटिस दिये व बिना कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किये उपरोक्त निजी खातेदारी की कृषि भूमि को जरिये नामान्तरकरण संख्या 483, दिनांक 26.06.2004 को मंदिर माफी श्री गोपाल जी के नाम तस्दीक फरमा दिया। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 8 विवादित कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार होने के बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपीलार्थीगण को ना तो कोई नोटिस प्रेषित किया गया और ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया इस कारण उपरोक्त नामान्तरकरण दिनांक 26.06.2004 प्राकृतिक न्याय के

Court to the Addl. Collector & Addl. ... JAIPUR



अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

सिद्धान्त के खिलाफ है। अपीलार्थीगण के पिता विवादित कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार थे एवं जागीरदारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व ही रिकार्डेड टेनेन्ट थे, जिस कारण अपीलार्थीगण के पिता को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात तहसीलदार को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड में फेरबदल करने के कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। खातेदारी अधिकार रिजेम्पशन ऑफ जागीरदारी एक्ट एवं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के कानून के प्रावधान के अनुसार अपीलार्थीगण के पिता को प्राप्त थे एवं अपीलार्थीगण उत्तराधिकारी होने के कारण काश्तकार है एवं राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के द्वारा उपरोक्त कानून के विपरीत अपीलार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त नही किये जा सकते। अपीलार्थीगण ईंट भट्टों पर मजदूरी करने हरियाणा पंजाब जाते हैं तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 8 का विवाह करने के बाद वो अपने ससुराल में रहती है, इस कारण आक्षेपित नामान्तरकरण दिनांक 26.06.2004 की पूर्व में जानकारी नहीं हो सकी। अपीलार्थीगण स्वयं का व्यवसाय करने के लिए अपनी कृषि भूमि पर ऋण लेने के लिए दिनांक 31.08.2013 को तहसील कार्यालय से जमाबंदी की नकल निकलवाने गये तब उपरोक्त अवैध एवं शून्य कार्यवाही का ज्ञान अपीलार्थीगण को दिनांक 31.08.2013 को हुआ तथा दिनांक 17.09.2013 को समस्त जमाबंदी नामान्तरकरण की नकल निकलवाई, क्योंकि उपरोक्त समस्त नामान्तरकरण अवैध एवं शून्य है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर अपीलार्थीगण की उपरोक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 483 दिनांक 26.06.2004 ग्राम जूनसिया, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर के मातहत न्यायालय के निर्णय को खारिज फरमाया जावे तथा अपीलार्थीगण के नाम उक्त कृषि भूमि वापिस नाम किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

अपीलार्थीगण ने अपील के सलंग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम, स्थगन प्रार्थना पत्र, अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रति, जमाबंदी संवत 2011 से 2022 तक, 2051 से 2054, 2059 से 2062 तक, 2067 से 2070, नक्शा ट्रेस, लगान की रसीदें एवं बिजली के बिल की प्रति पेश की है।

अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी जारी किये गये। मूल रिकॉर्ड मगंवाया गया तथा तहसीलदार किशनगढ रेनवाल से विवादित भूमि के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल ने अपने पत्रांक भू.अ./2020/2421 दिनांक 20.7.2020 प्रेषित की। रिपोर्ट अनुसार ग्राम जुनसिया के नामान्तरकरण संख्या 483 दिनांक 26.06.2004 को नायब तहसीलदार के आदेश कमांक SP/1 दिनांक 02.06.2004 की पालना में नामान्तरकरण स्वीकार होकर वर्तमान में माफी मन्दिर श्री गोपाल जी वाके हस्तेडा हिस्सा पूर्ण खातेदार रिकॉर्ड दर्ज है।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित किया गया है कि अपीलार्थीगण न्यायालय के समक्ष एक अपील इस आशय की पेश की कि "अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी" संख्या 2 ता 4, 6 ता 8 के पिता व प्रत्यर्थी संख्या 5 के पति स्व. रामू व मंगला पुत्र लादू, रामू पुत्र लादू के शामलाती खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 369 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 371 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 374, 377, 378 रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 376 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 389 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, कुल रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा ग्राम जूनसिया तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में स्थित है तथा अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 8 के पिता व पति स्वर्गीय मंगला पुत्र लादू, रामू पुत्र लादू एवं स्वर्गीय नारायण पुत्र लादू की उपरोक्त खसरा नम्बर की खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में सम्वत 2011 से 2022, 2038 से 2041, सम्वत 2051 से 2055 व सम्वत 2059 से 2062 में दर्ज है। उपरोक्त प्रकार से पूर्व में अपीलार्थीगण के पिता स्वर्गीय मंगला, रामू व नारायण उपरोक्त कृषि भूमि के एकमात्र खातेदारी काश्तकार थे, जिनकी मृत्यु होने के उपरांत उक्त कृषि भूमि की खातेदारी अपीलार्थीगण के नाम विरासत के आधार पर दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी को बिना नोटिस दिये व बिना कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किये उपरोक्त निजी खातेदारी की कृषि भूमि को जरिये नामान्तरकरण संख्या 483, दिनांक 26.06.2004 को मंदिर माफी श्री गोपाल जी के नाम तस्दीक फरमा दिया जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 8 विवादित कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार होने के बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपीलार्थीगण को ना तो कोई नोटिस प्रेषित किया गया और ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया इस कारण उपरोक्त नामान्तकरण दिनांक 26.06.2004 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ होने के कारण अवैध एवं शून्य है। अपीलार्थीगण के पिता विवादित कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार थे एवं जागीरदारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व ही रिकार्डेड टेनेन्ट थे, जिस कारण अपीलार्थीगण के पिता को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात तहसीलदार को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड में फेरबदल करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। खातेदारी अधिकार रिजेम्पशन ऑफ जागीरदारी एक्ट एवं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के कानून के प्रावधान के अनुसार अपीलार्थीगण के पिता को प्राप्त थे एवं अपीलार्थीगण उत्तराधिकारी होने के कारण काश्तकार है एवं राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के द्वारा उपरोक्त कानून के विपरीत अपीलार्थीगण के खातेदारी अधिकारी समाप्त नहीं किये जा सकते एवं इस प्रकार नामान्तरकरण दिनांक 26.06.2004 अवैध व शून्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण ईंट भट्टो पर मजदूरी करने हरियाणा पंजाब जाते है तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 8 का विवाह करने के बाद वो अपने ससुराल में रहती है, इस कारण आक्षेपित नामान्तरकरण दिनांक 26.06.2004 की पूर्व में जानकारी नही हो सकी तथा बिना नोटिस दिये व बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये खोले गये नामान्तरकरण को किसी भी समय चैलेज किया जा सकता है। अपीलार्थीगण के पिता स्वर्गीय मंगला, रामू व नारायण का काफी समय पूर्व स्वर्गवास हो गया था तथा



अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अपीलार्थीगण पंजाब हरियाणा में ईंट भटटों पर मजदूरी करने चले जाते है, इस कारण उक्त आक्षेपित नामान्तरकरण का ज्ञान नहीं हुआ जो घर पर स्वयं का व्यवसाय करने के लिए अपनी कृषि भूमि पर ऋण लेने के लिए दिनांक 31.08.2013 को तहसील कार्यलय से जमाबंदी की नकल निकलवाने गये तब उपरोक्त अवैध एवं शून्य कार्यवाही का ज्ञान अपीलार्थीगण को दिनांक 31.08.2013 को हुआ तथा दिनांक 17.09.2013 को समस्त जमाबंदी नामान्तरकरण की नकल निकलवाई, क्योंकि उपरोक्त समस्त नामान्करण अवैध एवं शून्य है इस कारण अपील की कोई अवधि निर्धारित नहीं हैं।"

अपीलाधीन आज्ञा (आदेश) बिना सुनवाई व साक्ष्य का नोटिस ही बाला बाला पारित की गई जो एकतरफा पारित किये जाने से निरस्तनीय हैं। अपीलाधीन आज्ञा बिना सुनवाई व साक्ष्य का नोटिस दिये ही मनमाने तौर पर एकतरफा अपलांटस के विरुद्ध अवैध रुप से पारित किये जाने से निरस्तनीय हैं। न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. – 1984 पेज–111 में स्पष्ट अभिमत पारित किया गया है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि जिसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही हो तो उसे सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिया जावे परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिया जाना तो दूर रहा अपीलांट को किसी प्रकार का नोटिस तक नही दिया गया। ग्राम जुनसिया की आराजी खसरा नम्बर 369 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 371 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 374, 377, 378 रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 376 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 389 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, कुल रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा ग्राम जूनसिया तहसील फुलेरा, जिला जयपुर की खातेदारी स्वर्गीय लादू पुत्र रुडा के नाम तथा उनकी मृत्यु होने के बाद स्वर्गीय मंगला, रामू, नारायण पुत्रान लादू निवासी– ग्राम जुनसिया, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर के नाम सम्वत 2011 से 2022 की खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) में दर्ज चले आ रहे हैं। जमाबंदी सम्वत 2038 से 2041 तथा सम्वत 2051 से 2055 व सम्वत 2059 से 2062 पर दर्ज हैं। माफी मंदिर गोपाल जी की खातेदारी खुदकाश्त में विवादग्रस्त आराजी कभी भी दर्ज नहीं रही हैं बल्कि नाम भोक्ता कॉलम में नाम दर्ज रहा हैं। अर्थात मंगला, रामू, नारायण पुत्रान लादू सम्वत 2011 से राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज रहा हैं इनके पूर्वज भी लादू पुत्र रुडा का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा हैं।विवादग्रस्त आराजी कभी माफी मंदिर गोपाल जी की खुद काश्त की नहीं रही हैं और मंगला, रामू, नारायण पुत्रान लादू की खातेदारी आराजी होन से ही खातेदार लादू, मंगला, रामू, नारायण की मृत्यु के पश्चात मृतक के वारिसान अपीलांट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 8 के नाम अपीलाधीन अवैध व शून्य कार्यवाही का ज्ञान अपीलांट को दिनांक 31.08.2013 को हुआ जब तहसील कार्यालय में कृषि भूमि पर ऋण लेने के लिए जमाबंदी की नकल निकलवाने गये तब उपरोक्त अवैध व शून्य कार्यवाही का ज्ञान होने पर दिनांक 17.09.2013 को समस्त जमाबंदी, नामान्तरकरण की नकल निकलवाई तब जानकारी में उक्त शून्य आदेश आया। चुंकि अवैध एवं शून्य आधारित आज्ञा की अपील के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है लेकिन तकनीकी त्रुटि से बचने के लिए अपील अवधि बाधित नहीं हो इसके लिए धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। न्यायिक दृष्टान्त –आर.आर.डी.–1990 पेज–479, आर.आर.डी.–1992 पेज–239, आर.आर.डी. –1994 पेज–640, ए.आई.आर.–1987(एस.सी.) पेज–1353, आर.बी.जे.–2004 पेज–286, आर.एल.आर.–1988 पेज–29, आरआर.टी.–2 पेज–458 । उक्त न्यायिक दृष्टान्तों में स्पष्ट मत पारित किया गया है कि प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किये जाने हेतु राजस्व कार कानून द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना आवश्यक था। उप तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिये ही बाला–बाला अपीलाधीन आज्ञा पारित कर दी गई जो एकतरफा होने से निरस्तनीय हैं। अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 8 पुत्रियां होने से अन्यत्र रहने के कारण अधिकतर समय अपने ससुराल में निवासरत रही है। जिस कारण अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 31.08.2013 की जानकारी पूर्व में नहीं थी। अपीलांट अपनी भूमि पर ऋण लेने के लिए तहसील कार्यालय में दिनांक 31.08.2013 को जमाबंदी की नकल लेने गये तब उक्त आदेश की जानकारी हुई। मियाद विलम्ब क्षम्य स्वविकाधिकार है और इसके लिए उदारतापूर्वक दृष्टकोण अपनाते हुए प्रश्नगत निर्णय की जानकारी दिनांक से मियाद अवधि गणना की जानी चाहिए। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर गुणावगुण के आधार पर प्रश्नगत निर्णय दिनांक 26.06.2004 पर गौर फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय की आज्ञा निरस्त फरमाई जावे। विवादग्रस्त आराजी पर बजमाने जागीरदारान व जागीरदारी अधिनियम प्रभाव में आने से अपीलांट के पिता व दादा का कब्जा काश्त था और रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थे। विवादग्रस्त आराजी पर आज भी अपीलांट का कब्जा काश्त है। प्रथम सेटलमेंट सम्वत 2011 लगायत 2022 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से पूर्व मंगला, रामू, नारायण व उनके पिता लादू पुत्र रुडा का कब्जा होने से जमाबंदी सम्वत 2011 से 2022, सम्वत 2038 से 2041, सम्वत 2051 से 2055 व सम्वत 2059 से 2062 में राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज हैं तथा खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2008 से 2019 के नाम भोक्ता कॉलम में माफी मंदिर गोपाल जी हस्तेडा तथा नाम दर्शक के कॉलम में लादू पुत्र रुडा जो अपीलान्ट के दादा थे। बतौर कृषक अंकित हैं और इसके पश्चात लगातार अपीलांट के पिता के नाम खातेदारी दर्ज रही है। किन्तु इसके बावजूद भी विवादग्रस्त आराजी के खातेदार, काश्तकार अपीलान्ट के पिता मंगला, रामू, नारायण को बिना सुनवाई का नोटिस बाला–बाला तहसीलदार किशनगढ रेनवाल के कैम्प आदेश दिनांक 02.06.2004 की आड में बिना कोई वैध आदेश माफी मंदिर गोपाल जी के नाम अपीलाधीन आज्ञा स्वीकार कर दी गई। परिपत्र दिनांक 06.03.2003 में मंदिर मूर्ति के खातेदारी हस्तानान्तरण को अवैध माना गया है परन्तु ऐसे इन्द्राज का विलोपन भी बिना सुनवाई का अवसर दिये नहीं किया जा सकता है। विवादग्रस्त आराजी कभी भी माफी मंदिर की नही रही हैं। सम्वत 2011 से 2022 बन्दोबस्त से पूर्व ही अपीलांट के पिता व दादा की खातेदारी में थी। मंदिर की खुदकाश्त भूमि नहीं थी परिपत्र दिनांक 06.03.2003 द्वारा अवैध हस्तानान्तरण की भू अभिलेख में प्रविष्टियां विलोपित कर पूर्ववत प्रविष्टियां अंकित करने के आदेश दिये गये हैं जबकि विवादग्रस्त आराजी कभी भी माफी मंदिर की नहीं रही



(32) ~

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

Court of the Addl. Collector & Adm. ... JAIPUR

हैं परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिपत्र का मनमाने तौर पर अर्थ लगाकर अपीलांटस को बिना नोटिस दिये विधि विरुद्ध एकतरफा निर्णय पारित किया गया है जो निरस्तनीय है।

इस परिपत्र के दुरुपयोग किये गये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार को ज्ञान होने पर राज्य सरकार यह परिपत्र क्रमांक प.क. 3(2) राज.–6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 द्वारा राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के अनुसरण में भूमि जागीरों के पुर्नग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी, उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुए खातेदार निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है। ऐसी भूमियों का वापिस मंदिर के नाम दर्ज किया जा रहा हैं, उचित नही है। राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम–1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे, उक्त परिपत्र के अनुच्छेद 5 में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी उनमें उक्त काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तानान्तरण की कार्यवाही में इन भूमियों को पुनः मंदिर के नाम दर्ज किया जाना विधिसम्मत नहीं है। परिपत्र दिनांक 12.01.1998 के अनुच्छेद–4 में भी भू प्रबन्ध आयुक्त द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि मंदिर मूर्ति की जिन भूमियों पर सम्वत 2012 की जमाबंदी में दिनांक 15.10.1955 को अन्य व्यक्ति कृषक दर्ज हैं उन भूमियों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जानी हैं। जमाबंदी के इन्द्राज को दोहराया जावेगा इसके पश्चात पुनः राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज.–6/07219 दिनांक 25.11.2011 द्वारा स्थिति को स्पष्ट किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक सम/प–63/न्याय/स्था/05/636–689 दिनांक 06.01.2010 में स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व जो खातेदारी अधिकार मिल चुके हैं उन अधिकारों व उनके स्थापन्न अधिकारधारियों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा रेफरेंस संख्या 6682/2019 उनवानी सरकार बनाम घीसा में आज्ञा दिनांक 19.07.2010 द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर जमाबंदी से माफीदार ठाकुर जी श्री द्वारकाधीश जी का नाम विलोपित किया जाकर अप्रार्थी का नाम खातेदार के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये हैं। अपीलांट के पिता की खातेदारी, काश्तकारी, कब्जेशुदा भूमि का नामान्तरकरण बिना कोई वैध अधिकार व बिना विवेक का प्रयोग किये उप तहसीलदार किशनगढ रेनवाल में विवादग्रस्त आराजी खातेदार काश्तकारान को बिना सुनवाई का नोटिस व अवसर दिये बिना ही बाला बाला माफी मंदिर गोपाल जी के नाम दर्ज कर दी गई। खातेदार को बिना सुनवाई साक्ष्य का नोटिस अवसर दिये मनमाने रूप से स्वीकार शब्द लिखकर अपीलांट के पिता के खातेदारी अधिकार समाप्त कर दिये। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 26.06.2004 नामान्तरकरण संख्या 483 ग्राम जुनसिया निरस्त फरमाया जाये।

सरकार पैरोकार ने दौराने बहस कथन किया कि मुताबिक सेटलमेंट खतौनी नायब तहसीलदार के आदेश क्रमांक SP/1 दिनांक 02.06.2004 की पालना में ग्राम जुनसिया के नामान्तरकरण संख्या 483 दिनांक 26.06.2004 को स्वीकार कर वर्तमान में माफी मन्दिर श्री गोपाल जी वाके हस्तेडा हिस्सा पूर्ण खातेदारी नियमानुसार रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तरकरण सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया का पालन कर नियमानुसार नामान्तरकरण खोला गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है।

रेस्पोडेन्ट्स/अधिवक्ता लम्बे समय तक बहस हेतु अनुपस्थित रहे हैं। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते आदेश नीयत की गयी।

हम पत्रावली में उपलब्ध अपीलार्थी की अपील, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा रेस्पोडेन्ट के जवाब अपील, दस्तावेजी साक्ष्यों, आदि का अवलोकन एवं पैरोकार सरकार की बहस का मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 483, दिनांक 26.06.2004 वाके ग्राम ग्राम जूनसिया, तहसील फुलेरा में अपीलार्थी को बिना सुनवाई किये तथा विधि के प्रावधानों के अनुसार जवाब पेश करने का अवसर दिये बिना यह निर्णय पारित किया गया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विपरीत है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, जिसमें अपीलार्थी का मजदूरी हेतु बाहर रहना तथा स्वयं का व्यवसाय करने के लिए अपनी कृषि भूमि पर ऋण लेने की दृष्टि से जमाबंदी निकलवाने पर नामान्तरकरण की जानकारी प्राप्त होने का आधार न्यायोचित तथा तथ्यपरक मानते हुए डिले कण्डोन किया जाता है। हम अपीलार्थी की अपील, जो कि विचाराधीन नामान्तरकरण के सन्दर्भ में की गई है, में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा निर्णय पारित किया गया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विपरीत है। अपीलाधीन नामान्तरकरण में नामान्तरकरण राज्य सरकार के आदेश के अनुसरण में जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा जारी आदेश के आधार पर खोला गया है। जिसमें यदि भूमि माफी मन्दिर की हो, तो भी बिना सुने इकतरफा कार्यवाही नहीं की जा सकती तथा माफी मन्दिर की भूमि होने पर नियमानुसार रेफरेन्स दर्ज करवाया जाकर अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था, जो कि इस प्रकिया के विपरीत रहा है, इसलिए खारिज योग्य है। दौराने अपील विचारण अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2008 से 2027 के कॉलम 3 में माफी मन्दिर श्री गोपाल जी विराजमान वाके हस्तेडा दर्ज है। कॉलम 4 खाली है तथा कॉलम 5 लादू पुत्र रुडा जाति बलाई साकिनदेह मु.कदीम खातेदार अंकित है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के विभिन्न परिपत्रों के आधार पर भूमि माफी मन्दिर की नहीं मानी जाकर, खातेदार अपीलार्थी और इनके हक पूर्वाधिकारियों के खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत होते हैं। साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा ऐसा कोई तथ्य व दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाया गया है, जिससे यह पुष्ट होता हो कि विवादित

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •



अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

आराजीयात माफी मन्दिर की है तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के समय भूमि मन्दिर के नाम होकर खुदकाश्त दर्ज हो। ऐसी स्थिति में अन्य जागीरदारों के समान मन्दिर की भूमि पर भी काश्तकारों के अधिकार प्रोद्भूत होने के प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किये गये हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलधीन नामान्तरकरण को निरस्त किया जाकर अपील इस निर्देश के साथ तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को प्रतिप्रेषित की जाती है कि वो प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए दस्तावेज पेश करने का समुचित प्रावधान करते हुए तथा अन्य सुसंगत दस्तावेजों का अवलोकन कर विवादित आराजीयात के संबंध में पुनः नवीन निर्णय 3 माह में पारित करें तथा आवश्यकता होने पर नियमानुसार रेफरेन्स दर्ज करवाने की कार्यवाही की जाये। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर